

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/45/2013

दर्ज दिनांक:-17.4.2013

1. लक्ष्मण पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. समुन्द्री पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुभाषसिंह चाहर

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-01.02.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। वादीगण व उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित अदालत नहीं आए। अतः दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर